# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
## (सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 4/2019
निर्णय दिनांकः– 06..01.2021

उनवान

नन्दलाल पुत्र रामनाथ जाति कुम्हार निवासी बाजोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक
–प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) – प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री बी0यू0 खान वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

## निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 413 रकबा 0.02 गै0मु0 बाड़ा हिस्सा 1/12, खाता संख्या 77,ख0न0 604 रकबा 0.20 ,ख0न0 605 रकबा 0.20 ख0न0 606 रकबा 1.12, ख0न0 608 रकबा 0.31 कुल किता 5 कुल रकबा 2.14 है0 जिसमे प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है तथा खाता संख्या 78 ,ख0न0 57 रकबा 0.53 ,ख0न0 593 रकबा 0.12 ख0न0 595 रकबा 0.49, ख0न0 742 रकबा 0.27 ख0न0 75 रकबा 1.28, कुल किता 5 कुल रकबा 2.69 है0 जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है तथा आराजीयात खाता संख्या 84 ख0न0 596 रकबा 0.16 है0 जिसमे प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है, वाके ग्राम बाजोलिया तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नन्दलाल पुत्र रामनाथ है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड,पेन कार्ड,फोटो पहचान पत्र,राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात इत्यादि में अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से किसी स्थान पर नन्दा व नन्दकिशोर अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम नन्दलाल पुत्र रामनाथ है । राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र रामनाथ के स्थान पर सहवन से नन्दा व नन्दकिशोर दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 413 रकबा 0.02 गै0मु0 बाड़ा हिस्सा 1/12, खाता संख्या 77,ख0न0 604 रकबा 0.20 ,ख0न0 605 रकबा 0.20 ख0न0 606 रकबा 1.12, ख0न0 608 रकबा 0.31 कुल किता 5 कुल रकबा 2.14 है0 जिसमे प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है तथा खाता संख्या 78 ,ख0न0 57 रकबा 0.53 ,ख0न0 593 रकबा 0.12 ख0न0 595 रकबा 0.49, ख0न0 742 रकबा 0.27 ख0न0 75 रकबा 1.28, कुल किता 5 कुल रकबा 2.69 है0 जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है तथा आराजीयात खाता संख्या 84 ख0न0 596 रकबा 0.16 है0 जिसमे प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है, वाके ग्राम बाजोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम नन्दा व नन्दकिशोर के स्थान पर नन्दलाल पुत्र रामनाथ अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम बाजोलिया के खाता सं0 77,78,व 84 में प्रार्थी का नाम नन्दा व नन्दकिशोर जाति कुम्हार दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से नन्दा व नन्दकिशोर पुत्र रामनाथ व नन्दलाल पुत्र रामनाथ एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 77,ख0न0 604 रकबा 0.20 ,ख0न0 605 रकबा 0.20 ख0न0 606 रकबा 1.12, ख0न0 608 रकबा 0.31 कुल किता 5 कुल रकबा 2.14 है0 जिसमे प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है तथा खाता संख्या 78 ,ख0न0 57 रकबा 0.53 ,ख0न0 593 रकबा 0.12 ख0न0 595 रकबा 0.49, ख0न0 742 रकबा 0.27 ख0न0 75 रकबा 1.28, कुल किता 5 कुल रकबा 2.69 है0 जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है तथा आराजीयात खाता संख्या 84 ख0न0 596 रकबा 0.16 है0 जिसमे प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है, वाके ग्राम बाजोलिया तहसील उनियारा में प्रार्थी नन्दलाल पुत्र रामनाथ जाति कुम्हार साकिन बाजोलिया खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,पेनकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम नन्दलाल व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम नन्दलाल दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम बाजोलिया के खाता सं0 77,78 व 84 में नन्दा व नन्दकिशोर के स्थान पर नन्दलाल पुत्र रामनाथ किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 77,78 व 84 कुल किता 3 वाके ग्राम बाजोलिया तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज नन्दा व नन्दकिशोर के स्थान पर नन्दलाल पुत्र रामनाथ दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा )
उपखण्ड अधिकारी उनियारा